UPBS120005652021

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP03335

मूलवाद सं० 446/2021

रामसुन्दर आदि बनाम राम कुमार आदि

29.09.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र कागज सं० 6ग२ पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित भूमि गाटा सं० 1441/1 रकबा 0.0200 हे० के 1/4 भाग अर्थात रकबा 0.050 हे० प्रदर्शित नक्शा नजरी वादपत्र ए,बी,सी,डी के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 11ग1 द्वारा छायाप्रति जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 भाग 1 कागज सं० 12ग1, छायाप्रति खतौनी चकबन्दी कागज सं० 13ग1 दाखिल की गयी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है। पक्षकार एक ही वंशवृक्ष के सदस्य हैं। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक–13.10.2021 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8ग2

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 8ग2 विवादित भूमि का नक्शा एवं आख्या जरिए अदालत अमीन मंगवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद के निस्तारण में अमीन रिपोर्ट व नक्शा सहायक होगा। अतः प्रार्थनापत्र 8ग2 स्वीकार किया जाता है। अदालत अमीन को परवाना जारी हो। वादी पैरवी करे।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान–बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 9ग2

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं० 9ग2 प्रतिवादीगण पर नोटिस का तामीला जरिए विशेष वाहक कराये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।